



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य जल पर्षद
गंगा परियोजना अंचल सं०-२,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना-८००००१.

पत्रांक:-...../ पटना, दिनांक:-...../

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चकिया।

विषय:- ई.-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-१६/२०१८-१९ (ग्रुप सं०-०२) के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत Construction of piped water Supply scheme for ward No.-09, Nagar Panchayat Chakia का कार्य आवंटन करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-२९८८ दिनांक-२८/०८/२०१८

महाशय,

नगर पंचायत, चकिया के द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा ई.-टेंडरिंग पद्धति से NIT No.-10/2018-19 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु (वार्ड संख्या-०९) के लिए आमंत्रित की गयी थी जिसमें ग्रुप सं०-०२ में मात्र ०२ (दो) निविदाकार यथा ०१. मेसर्स चंदन कन्सट्रक्शन, ग्राम+पो०-वैशाली, जिला-वैशाली एवं ०२. सलोनी कुमारी, ग्राम+पो०-वैशाली, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली द्वारा भाग लिया गया है।

प्रस्तुत तुलनात्मक विवरणी के अनुसार प्रथम निविदाकार मेसर्स चंदन कन्सट्रक्शन के द्वारा परिमाण विपत्र (B.O.Q.) दर उद्धित किया गया है एवं द्वितीय निविदाकार सलोनी कुमारी द्वारा परिमाण विपत्र दर से ०.१०% (शून्य दशमलव एक शून्य प्रतिशत) कम दर उद्धित किया गया है।

दर बीड के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार सलोनी कुमारी, ग्राम+पो०-वैशाली, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली द्वारा उद्धित दर न्यूनतम है।

अतः न्यूनतम दर-दाता सलोनी कुमारी, ग्राम+पो०-वैशाली, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली को परिमाण विपत्र की राशि ₹ 49,01,626/- (उनचास लाख एक हजार छः सौ छबीस) रुपये मात्र से ०.१०% (Below) कम दर पर कार्य आवंटित किया जाता है। जिसकी कुल राशि ₹ 48,96,724/- (अड़तालीस लाख छियानवे हजार सात सौ चौबीस) रुपये मात्र होगी।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चकिया एकरारनामा करने के पूर्व जमानत की राशि एवं नियमानुसार additional performance guarantee लेते हुये सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त एवं सभी कागजातों का सत्यापन कर एकरारनामा करेंगे एवं निम्न निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

१. कार्य समाप्ति की अवधि ०६ (छः) माह होगी।

कृ.पू.उ.

2175
12-9-18

2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जांचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैद स्वरूप प्रयुक्त किया जाय, जिसमें दर अंक एवं शब्द दोनों में हो।
4. रोटरी रिभर्स मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित सयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संबंधित निविदाकार को संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अग्रधन की राशि की जांच निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
8. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (डुडा), मोतिहारी के देख-रेख में करवाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पादित करवायी जाय।
10. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
11. पाईप लाईन दिखाने के पूर्व HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता की तृतीय पार्टी जांच (Third Party inspection) CPET हाजीपुर से अवश्य करा ली जाय। अन्य सामान जैसे फेरुल, फिटिंग्स इत्यादि ISI मार्क का ही प्रयुक्त किया जाय।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट **Mild steel Angle** पर लगाना आवश्यक है, जो **PCC** से **Fix** किया गया हो।

प्राप्त तुलनात्मक विवरणी मूलरूप में सभी निविदा कागजात के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:-...../ पटना, दिनांक:-...../

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:-700/ पटना, दिनांक:-04/09/2018/

प्रतिलिपि:-श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/18

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।